



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A Govt. Of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email id : fundsectionhq@upcl.org Website : www.upcl.org

पत्रांक: 653 / उ०पा०का०लि० / म०प्र०(वि०) / परि०, वाणि० एवं जानपद /

दिनांक: 4.8.2025

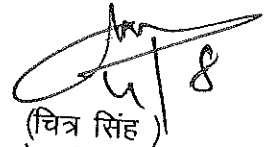
समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० ।

विषय- ई०आर०पी० योजना के अर्न्तगत कार्यों का नियमित संचालन किये जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया उपरोक्त विषयक महाप्रबन्धक (वित्त) उपाकालि के पत्रांक 114 / म०प्र०(वि०) उपाकालि / ERP दिनांक 02.08.2025 (छायाप्रति संलग्न) जो स्वयं में स्पष्ट है, का संदर्भ ग्रहण करें ।

इस सम्बन्ध में मुझे आपसे कहने का निर्देश हुआ है कि निधि मॉग प्रेषण सहित समस्त लेखा सम्बन्धी दैनिक कार्य ERP प्रणाली के माध्यम से करना सुनिश्चित करें और लम्बित कार्यों को ERP प्रणाली में प्रथामिकता पर अद्यतन कराये ।

कृपया इसको अत्यंत आवश्यक समझे ।
संलग्नक : यथोपरि ।


(चित्र सिंह)

वरिष्ठ लेखाधिकारी (वित्त)

कृते महाप्रबन्धक प्रबन्धक (वित्त)

तददिनांक: 4.8.2025

पत्रांक: 653 / उ०पा०का०लि० / म०प्र०(वि०) / परि०, वाणि० एवं जानपद /

प्रतिलिपि : उक्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित ।

1. अधीक्षण अभियन्ता (IT) ERP, उ०पा०का०लि ।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) परियोजना / जानपद, उ०पा०का०लि ।
3. उपमहाप्रबन्धक (वित्त), क्षेत्र०का०, उ०पा०का०लि रुद्रपुर ।
4. उप मुख्य लेखाधिकारी, क्षेत्र०का० उपाकालि, देहरादून / हल्द्वानी / हरिद्वार ।

संलग्नक : यथोपरि ।


(चित्र सिंह)

वरिष्ठ लेखाधिकारी (वित्त)

कृते महाप्रबन्धक प्रबन्धक (वित्त)

तददिनांक: 4.8.2025

पत्रांक: 653 / उ०पा०का०लि० / म०प्र०(वि०) / परि०, वाणि० एवं जानपद /

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित ।

1. स्टाफ आफिसर (स्तर-1) कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, उ०पा०का०लि० वि०क्रा०वि०ग०सि० ऊर्जा भवन देहरादून ।
2. निदेशक, (वित्त / परियोजना), उ०पा०का०लि० वि०क्रा०वि०ग०सि० ऊर्जा भवन, देहरादून ।
3. मुख्य अभियन्ता (वितरण) / परियोजना / जानपद, उपाकालि ।
4. महाप्रबन्धक (वित्त), वेतन व भत्ते, उ०पा०का०लि० ।


(चित्र सिंह)

वरिष्ठ लेखाधिकारी (वित्त)

कृते महाप्रबन्धक प्रबन्धक (वित्त)



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
UTTARAKHAND POWER CORPORATION Ltd.

(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)
CIN: U40109UR2001SGC025867
Email Id: hpupcl@gmail.com Website: www.upcl.org

पत्रांक 114 / म०प्र०(वि०) / उपाकालि / ERP

दिनांक: 02/08/2025

महाप्रबन्धक (वित्त) परिचालन, वाणिज्य एवं जानपद
उ.पा.का.लि.,
वि.का.वि. गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।

विषय: ई०आर०पी० योजना के अन्तर्गत कार्यों का नियमित संचालन किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया प्रबन्ध निदेशक महोदय, उपाकालि के कार्यालय पत्र संख्या 5399/प्र०नि०/उपाकालि दिनांक 08.07.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से यह निर्देशित किया गया है, कि उपाकालि में दिनांक 15.09.2025 तक ई०आर०पी० योजना को विभाग में प्रत्येक दशा में पूर्ण रूपेण अंगीकार किया जाना है।

इस सम्बन्ध में, जैसा कि, पूर्व में भी ई०आर०पी० योजना के अन्तर्गत कार्यों का नियमित संचालन किये जाने हेतु निदेशक (परिचालन) के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1598/उपाकालि/निदे०(परिचालन)/ई०आर०पी०/एम-20 दिनांक 15.04.2024 एवं तदक्रम में निदेशक वित्त, उपाकालि के पत्र संख्या 421 दिनांक 02.05.2024 व पत्र संख्या 336/उ०पा०का०लि०/डी०एफ०-139 दिनांक 01.03.2025, के माध्यम से उपाकालि के समस्त खण्डों/ईकाईयों/कार्यालयों, को पुनरीक्षित निधि मांग पत्र प्रेषित करते हुए निर्देश दिये गये हैं कि, ई०आर०पी० योजना के कियान्वयन हेतु दैनिक कार्यों का सम्पादन पूर्ण रूप से ई०आर०पी० प्रणाली के माध्यम से किया जाय तथा निधि मांग पत्रों का सृजन ई०आर०पी० के अनुरूप निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता तथा उपमुख्य लेखाधिकारी/उपमहाप्रबन्धक (वित्त) के माध्यम से ही अग्रेत्तर महाप्रबन्धक (वित्त) परिचालन, वाणिज्य एवं जानपद को प्रेषित किये जाएं, अन्यथा अपूर्ण निधिमांग पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के भी निर्देश हैं। किन्तु, इस सम्बन्ध में, निरन्तर निर्देशित किये जाने के बावजूद भी विभिन्न खण्डों/ईकाईयों/कार्यालयों द्वारा ई०आर०पी० प्रणाली का उपयोग नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है, जो कि उच्चाधिकारियों के निर्देशों का भी उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, आपसे अनुरोध है कि कृपया, अपने स्तर पर, निर्धारित पुनरीक्षित निधि मांग पत्र के समस्त कॉलमों में तदानुसार स्पष्ट सूचनायें/आंकड़े प्रविष्टि वाले निधिमांग पत्र पर ही कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही, अपने कार्यालय से सम्बन्धित समस्त प्रविष्टियों को भी, ई०आर०पी० प्रणाली में अद्यतन करवाने का कष्ट करें, ताकि उच्चाधिकारियों की अपेक्षा व आश्वासन के अनुसार निर्धारित तिथि तक कॉरपोरेशन में ई०आर०पी० पूर्णरूपेण अंगीकरण/कियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

(एच. पी. शर्मा)
महाप्रबन्धक (वित्त)

पत्रांक / म०प्र०(वि०) / उपाकालि / ERP तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. स्टाफ आफिसर (स्तर-1) कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि०क्रा०वि०ग०सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निदेशक (वित्त/परिचालन/परियोजना), उपाकालि, वि०क्रा०वि०ग०सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, वि०वि०म०, उपाकालि, को इस आशय से प्रेषित कि अपने अधीनस्थ मण्डल से सम्बन्धित पुनरीक्षित निधि मांग पत्रों के प्रारूप में, मण्डल में तैनात लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी के माध्यम से समस्त वांछित सूचनाएं अंकित कराने के उपरान्त ही, मांग पत्र आंचलिक लेखा कार्यालय को अग्रेषित करने का कष्ट करें।

(एच. पी. शर्मा)
महाप्रबन्धक (वित्त)

21/8/25

4/8